



श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

राज्य के सभी नगर निकायों में लाभुक जागरूकता-सह-नींव खुदाई कार्यक्रम

दिनांक: 17 दिसम्बर से 29 दिसम्बर तक

17-12-2021 से 19-12-2021

नगर निकाय कार्यालय में “समाधान शिविर”

- ❖ स्वीकृत आवासों के लाभुक, जिनका दस्तावेज अभिलेख अधूरा है, वे निकाय में जमा करेंगे।
- ❖ स्वीकृत आवासों के लाभुक जिनको आवास निर्माण का किश्त प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें किश्त निर्गत किया जाएगा।
- ❖ स्वीकृत आवासों के लाभुकों में से यदि किसी लाभुक का निधन हो गया है, तो उनके स्थान पर उनके उत्तराधिकारी के नाम का परिवर्तन करने की कारवाई की जाएगी।
- ❖ नॉन स्टार्टर आवासों के लाभुकों को आवास निर्माण प्रारंभ करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
- ❖ जिन निकायों में किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, इच्छुक एवं योग्य लाभुकों से ₹ 5,000/- पंजीकरण शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

20-12-2021 से 28-12-2021

लाभुक के द्वार कार्यक्रम

- ❖ वित्तीय वर्ष 2021-22 में नव स्वीकृत BLC लाभुकों के आवासों का नींव खुदाई।
- ❖ विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन आवासों का शत-प्रतिशत Geotagging करना।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के स्वीकृत लंबित आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराना।

29-12-2021

गृह-प्रवेश कार्यक्रम

- ❖ माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय महापौर/उप महापौर, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माननीय वार्ड पार्थद गण की उपस्थिति में पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित करना।



अधिक जानकारी के लिए विभाग के टॉल फ्री नं० 1800-120-2929 पर सम्पर्क करें।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जनहित में जारी

वेबसाइट: dmajharkhand.in | Follow us on :     @JharkhandDMA